न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2024/45
मुकदमा नम्बर 07/2024 दावा दर्ज दिनांक–18.01.2024

अनिता पत्नी नरेश कुमार सीगड जाति जाट निवासी सीगडों की ढाणी तन खिरोड ,तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनू

–आवेदक

बनाम

1. सुरजाराम पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी कसेरू,तहसील नवलगढ
2. बलबीर पत्रु सुरजाराम जाति जाट निवासी कसेरू, तहसील नवलगढ
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार नवलगढ़

–अनावेदक

दावा घोषणार्थ रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधज्ञा

वकील वादी : – श्री सज्जन चाहर
वकील प्रतिवादी सं. 1 व 2 :– इकबालिया जवाब श्री नेमीचन्द डूडी
वकील प्रतिवादी सं. 3:– पैरो. राज.

:: निर्णय :: **निर्णय दिनांक 19.12.2024**

वादी वादी इस कदर पेश किया गया कि, ग्राम कसेरू पटवार हल्का कसेरू की सरहद में स्थित भूमि खाता सं. नया 323 पुराना 262 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 798 रकबा 0.05 है0,खसरा नं.799 रकबा 2.60 है0, खसरा नं. 800 रकबा 2.76 है0, खसरा नं. 913/802 रकबा 2.13 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 7.54 है0 भूमि में वादिया को 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें, तथा राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर वादिया का 1/8 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। प्रतिवादी सं. 1 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जावें।

वाद वादी पेश होने पर तलबी प्रतिवादीगण की जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 व 2 की और से जरिये वकील इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया । प्रतिवादी सं. 3 की और से पैरो. राज. उपस्थित हो कोई एतराज प्रकट नही किया गया। प्रकरण एक पक्षीय होने से तनकी कायमी आवश्यक नही रह जाती है। श.वादी में अनिता व विनोद का मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र पेश किया गया।

बहस एक पक्षीय पेश होने पर बगौर सुनी गई।

विद्वान वकील वादी ने अपने प्रा. पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि,उक्त खसरा नम्बरान की भूमि पूर्व मे प्रतिवादी के पिता एंव प्रतिवादी नं. 2 के दादा के नाम दर्ज थी। जिसके आठ वारिसान है। रामेश्वर की फौत होने पर रामेश्वर के वारिसानों के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गये। जिसमे से सुरजाराम पुत्र रामेश्वर ने अपने 1/8 हिस्से की सम्पूर्ण भूमि दिनांक 7/12/2019 को जरिये इकरारनामा बाबत विक्रय द्वारा वादिया को विक्रय कर दी व वादिया से 6 लाख रूपये लेकर वादिया को

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुंझुनू)

कब्जा संभला दिया तब से लेकर लगातार वादिया का ही कब्जा काश्त है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने इस वाद में इकबालिया जवाब दिया है। इसलिये प्रतिवादी सं. 1 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाकर वादिया को 1/8 हिस्से की खातेदारी काश्तकार घोषित कर दिया जावे। आवेदक ने दौराने बहस इकरारनामे की प्रति का अवलोकन करवाया।

वाद वादी आपसी सहमति का होने से स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: आदेश ::

लिहाजा वाद वादी पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा ग्राम कसेरू पटवार हल्का कसेरू की सरहद में स्थित भूमि खाता सं. नया 323 पुराना 262 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 798 रकबा 0.05 है0,खसरा नं. 799 रकबा 2.60 है0, खसरा नं. 800 रकबा 2.76 है0, खसरा नं. 913/802 रकबा 2.13 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 7.54 है0 भूमि में वादिया को प्रतिवादी सं. 1 सुरजाराम पुत्र रामेश्वर के स्थान पर 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, तथा प्रतिवादी सं. 1 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है। **तद्नुसार तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिया जाता है कि उक्त स्थान्तरित हिस्से की भूमि का रजिस्ट्रेशन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी की गणना करवा कर वादी से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कर लिया जावे तथा वादी द्वारा नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करवाये जाने के पश्चात् ही उक्त आदेश के अनुसरण में राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमलदरामद व दुरूस्ती कर दी जावे। वादी द्वारा नियमानुसार रजिस्ट्रेशन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी जमा करवाये जाने के पश्चात् ही उक्त आदेश प्रभावी होगा।**

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुंझुनूं

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ

श्री जय सिंह (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

जीसीएमएस नं. 2024/45

मुकदमा नम्बर 07/2024 दावा दर्ज दिनांक–18.01.2024

(अनिता बनाम सुरजाराम वगै0)

दावा घोषणार्थ रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू श्री जय सिंह (आर0ए0एस0),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब– मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

वाद वादी पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है तथा ग्राम कसेरू पटवार हल्का कसेरू की सरहद में स्थित भूमि खाता सं. नया 323 पुराना 262 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 798 रकबा 0.05 है0,खसरा नं. 799 रकबा 2.60 है0, खसरा नं. 800 रकबा 2.76 है0, खसरा नं. 913/802 रकबा 2.13 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 7.54 है0 भूमि में वादिया को प्रतिवादी सं. 1 सुरजाराम पुत्र रामेश्वर के स्थान पर 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, तथा प्रतिवादी सं. 1 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है। **तद्नुसार तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिया जाता है कि उक्त स्थान्तरित हिस्से की भूमि का रजिस्ट्रेशन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी की गणना करवा कर वादी से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कर लिया जावे तथा वादी द्वारा नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करवाये जाने के पश्चात् ही उक्त आदेश के अनुसरण में राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमलदरामद व दुरूस्ती कर दी जावे। वादी द्वारा नियमानुसार रजिस्ट्रेशन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी जमा करवाये जाने के पश्चात् ही उक्त आदेश प्रभावी होगा।**

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।
पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

जन...........–............... मुबलिग...........–............बाबत......–...........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह......–............फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.............का अदा करे।

बस्वत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 19 माह 12 सन 2024 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	01.00	स्टाम्प वकालतनामा	1.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	0.00	मुतफरिक मिजान	0.00